न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 15/2017

श्री मदनसिंह पुत्र श्री हरजीसिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम खेड़ी पोस्ट पड़गा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1– श्री शंकरसिंह
2– श्री कालूसिंह
पुत्रगण श्री हीरा जाति रावत, निवासीगण ग्राम खेड़ी पोस्ट पड़गा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर
3– आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1– श्री ईश्वर देवड़ा, वकील प्रार्थी की ओर से।
2– श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक– 25.10.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 08.02.2008 को ग्राम करांटी में आयोजित राजस्व शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर सर्व श्री शंकरसिंह व कालूसिंह पुत्रगण श्री हीरा, जाति रावत, निवासीगण ग्राम खेड़ी पोस्ट पड़गा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर के पक्ष में शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा ग्राम खेड़ी के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 161 रकबा 0.75 व खसरा नम्बर 162 रकबा 0.39 हैक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधिविरूद्ध बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकॉर्ड मंगवाया गया व अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व नियम 7 के अनुसार न तो आवेदन पत्र आमंत्रित किये न ही कोई उद्घोषणा ही जारी की गई, गुपचुप तौर पर मात्र अप्रार्थीगण को लाभान्वित करने के उद्देश्य से एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही कर आवंटन आदेश जारी कर दिया जो पूर्णतया आवंटन नियम 1970 में प्राविधित नियमों के विपरीत है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई जबकि अप्रार्थीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं व उनके पास पूर्व से ही पुश्तैनी एवं स्वयं द्वारा अर्जित कृषि भूमियां होने के अतिरिक्त अप्रार्थीगण की पत्नियों के नाम क्रयशुदा कृषि भूमि है अर्थात वह किसी भी प्रकार से भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अप्रार्थीगण ने आवंटन प्रार्थना पत्र में अपनी खतोदारी भूमियों को छिपाकर मात्र कुछ भूमि को ही दर्शाया है, इससे जाहिर है कि अप्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छिपाकर विवादित भूमि का आवंटन करवाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य आवंटन नियम 1970 के नियम 11 में आवंटन हेतु जो पात्रता प्राथमिकतायें वर्णित की गई हैं जिसमें नियम 11(1) के अनुसार केवल भूमिहीन कृषक को ही कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया जा सकता है। अपने कथन की पुष्टि में उन्होने हमारा ध्यान जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या नया 222, 235, 237, 238, 239, 245, 241, 242, 243 व 364 की ओर आकर्षित किया जिनमें अप्रार्थीगण, उनके पिता, माता व पत्नियों के नाम से संयुक्त रूप से कृषि भूमि दर्ज है। उन्होने आगे कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के आवंटन पश्चात आदिनांक तक आवंटित भूमि का न तो कब्जा प्राप्त किया है तथा न ही आवंटित भूमि का आवंटन शर्तों के अनुरूप समुचित उपयोग/उपभोग किया गया है, जो आवंटन नियम 1970 के नियम 14(8)(क) का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमानुसार ऐसे कागजी आवंटन को यथावत नहीं रखा जा सकता। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थीगण बोनाफाईड कृषक नहीं है तथा अप्रार्थीगण का जीविकोपार्जन कृषि अथवा कृषि मजदूरी पर निर्भर नहीं है। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि से लगते हुए प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है तथा विवादित भूमि पर प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है, ऐसी स्थिति में आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत प्रार्थी विवादित भूमि के नियमन का अधिकारी था किन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कब्जे काश्त की जांच करवाये बिना अप्रार्थीगण के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन कर दिया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 08.02.2008 को किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में विवादित भूमि का नियमन करावें।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त कथन झूठे एवं मनगढंत है। अप्रार्थीगण के पक्ष में विवादित भूमि का आवंटन विधिवत जांच पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है। प्रार्थी का यह

अपर कलक्टर
बजमे

Scanned by CamScanner

कथन गलत है कि विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व नियम 7 के अनुसार आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये गये एवं न ही उद्घोषणा जारी की गई जबकि विवादित भूमि के आवंटन से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जाकर भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का यह कथन कि विवादित भूमि पर उनका पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपने कथन के समर्थन में उन्होने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे विवादित भूमि पर प्रार्थी के कब्जे काश्त की पुष्टि होती हो। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में पूर्ण विधिक प्रक्रिया पश्चात आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थीगण के पास पूर्व से ही काफी अधिक पुश्तैनी कृषि भूमि है जबकि पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दियों उनके नाम कोई कृषि भूमि अंकित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वरवक्त आवंटन अप्रार्थीगण के नाम हिस्सानुसार लगभग 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि ही आती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी का यह कथन कि विवादित भूमि पर उनका अर्सेदराज से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अपने कथन के समर्थन में उन्होने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे उनके कथनों की पुष्टि होती हो। नियम 14(4) के अन्तर्गत केवल मात्र ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो Misrepresentation के आधार पर करवाया गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में रेकॉर्ड पर ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए हैं।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.10.2017 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलेक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलेक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner